

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक एफ 73-105 / 20-3 / 2008

भोपाल दिनांक 05-12-08

सचिव,

कर्न्तीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।


प्रशासकीय शिक्षण संस्था सुभाष माटेरी संबंधीक स्कूल सौंसर जिला
छिन्दवाड़ा को सी.वी.एस.इ. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र
देने के संबंध में।

—0000—

गवर्नर शासन द्वारा विषयाकृत सख्ता द्वारा अविदेन पत्र एवं शपथ पत्र के आदि
पर संस्था को सी.वी.एस.इ./आई सी.एस.इ. से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र
निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है—

- 1) कर्न्तीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य गोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरात वा
सरकारी/समिति द्वारा सप्तशतांशु एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा
समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का
पालन किया जायेगा।
- 2) सख्ता की प्रबंध करिणी समिति एवं जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनका सु
पात्रेनिधि कायकारिणी में सम्मिलित करना होगा।
- 3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप
नियमालीन अग्रिम तरीके द्वारा अप्राप्यक रूप से व्यवस्था हापड़ी का दृ
ष्टव्य में भारत वर्षाल द्वारा शोषणिक लकड़ी के सकार में सुनना-पालन दृष्टव्य
किए जाने वाले निर्देशों का पालन सख्ता का करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस.एस.एस.)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांक एफ 73-105 / 20-3 / 2008
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक

1- सचिव (सवधित संस्था/राज्यिति) अशासकीय शिक्षण संस्था सुभाष माटेसरी पब्लिक स्कूल, सौंसर ज़िला छिन्दवाड़ा की ओर अग्रेषित। अशासकीय शिक्षण संस्था सुभाष माटेसरी पब्लिक स्कूल, सौंसर ज़िला छिन्दवाड़ा को सी.वी.एस.ई से सम्बद्धता, मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण-प्रत्र निम्न शर्तों पर प्रदान ती जाती है।-

- (1) संस्था सी.वी.एस.ई / आई सी एस.ई के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका परीक्षण कन्नीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।
- (2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-प्रत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिकायत जांच में राहीं पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

- 2- आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र., भोपाल।
3- ज़िला शिक्षा अधिकारी, ज़िला छिन्दवाड़ा, मोप्र०।
4- ऑर्डर बुक।

अधर सचिव
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग

Zub
Sachiv
सौंसर शिक्षण एवं बाल विकास
राज्यिति सौंसर

प्रमाण-प्रत्र
अधिकारी नाम संकेत
प्रमाण-प्रत्र नं. १०१५